

E-mail : bciinfo21@gmail.com
info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org



Tel. : (91) 011-4922 5000
Fax : (91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002
BCI: 667/2024 (LE/App/Afflin) 16.06.2024

1.	The Registrar, Chaudhary Charan Singh University, Meerut - 250001 Uttar Pradesh
2.	The Principal, NAS College Meerut, Nanakchand Anglo Sanskrit College, Meerut, Uttar Pradesh
3.	The Principal, Mewar Law Institute, Sector - 4-C, Vasundhara Delhi - Ghaziabad Link Road, Ghaziabad - 201010 Uttar Pradesh
4.	The Principal, Janhit College of Law, 38-B, Knowledge Park, Phase - I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
5.	The Principal, Modern college of Law, Anand Industrial Estate, Mohan Nagar - 201007 Uttar Pradesh
6.	The Principal, Kamkus College of Law, B Block, Sector - 23, Sanjay Nagar, Ghaziabad - 201002, Uttar Pradesh
7.	The Principal, IMIRC College of Law, Garh Bulandshar Road, Bhaina Garhmukteshwar, Ghaziabad - 245205 Uttar Pradesh
8.	The Principal, Indcare College of Law, 30/16, 30/17, Knowledge Park - III, Greater Noida, Gautam Budh Nagar,

Typed by: M.J.
Fee & GA Checked: M.J.
Default Amt. :M.J.
Compliance: M.J.
Meeting Letter: M.J.

	Uttar Pradesh - 201308
9.	The Principal, Gayatri Devi College of Law, Chhaptauli Road, Baraut (Bhagpat) - 250611 Uttar Pradesh
10.	The Principal, Ram Kali College of Law, Bilashpur Greater Noida, Uttar Pradesh
11.	The Principal, Sunder Deep College of Law, Dasna, Ghaziabad - 201001 Uttar Pradesh
12.	The Principal, Dayanand Vidyapeeth College of Law, Village Shoulda, Block Machhara Garh Rd, Uttar Pradesh
13.	The Principal, Unique Law College, NH-58, UIMT City Near Gang Nahar Muradnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
14.	The Principal, Smt. Mohan Kaur College of Law, Village - Dagarpur, Tehsil - Khekra, Distt. Baghpat, Uttar Pradesh - 205101
15.	The Principal, J.P College of Law, Singhawali Ahir, Meerut Road, Bhagpat, Uttar Pradesh
16.	The Principal, Shatabdi Law College, Village : Kayasthgaonwari Mohiuddinpur, Meerut - 250205 Uttar Pradesh
17.	The Principal, Ambay College of Law, Village - Bhimyari, Bahugarh Chhavni, Distt. Hapur - 245201 Uttar Pradesh
18.	The Principal, CERT College of Law, NH-58, Partapur Bye-Pass Road, Meerut - 250103, Uttar Pradesh
19.	The Principal, Samrat Prithviraj Chauhan College of Law & Technology, Near Mahila Thana Muradnagar Road, Distt. Baghpat - 250609 Uttar Pradesh

Typed by: M.J.
Fee & GA Checked: M.J
Default Amt. :M.J.
Compliance: M.J.
Meeting Letter: M.J. .

20.	The Principal, Modern Degree College of Law, NH-58, Delhi – Meerut Road, Duhai, Ghaziabad – 201206 Uttar Pradesh
21.	The Principal, Satyam Law College, Naya Gaon Road, Village Anwarpur, Hapur – 245304 Uttar Pradesh
22.	The Principal, Shri Vinayak College of Law, Delhi – Sharanpur Road, Mavikalan, Distt. Baghpat, Uttar Pradesh
23.	The Principal, Mawana College of Law, Mawana Bijnor Road, Tehsil Mawana, Distt. Meerut, Uttar Pradesh
24.	The Principal, Smt. Rajrani Chauhan Law College, (SRC), Village – Amehra Saani, PO-Bhatipura, Garh Road, Meerut – 250001 Uttar Pradesh
25.	The Principal, Meghnath Singh Shishodia College of Law, Dhaulana, Distt. Hapur, Uttar Pradesh – 245301
26.	The Principal, Ch. Dalel Singh Law College, Badruddin Nagar, Nanu, Meerut – 250341 Uttar Pradesh
27.	The Principal, Dewan Law College, NH-58, By – Pass Road, Partapur, Meerut – 250103 Uttar Pradesh
28.	The Principal, B.D.S School of Law, Sector – 8, Jagriti Vihar (Near Somdatt Vihar), Opposite Medical College Garh Road, Meerut – 250004 Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional approval of affiliation to Centers of Legal Education/ Law Colleges (as mentioned in the letter) for the academic year 2024-2025.

Sir/Ma'am,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to the following law colleges (as mentioned in the letter) which has already applied for extension of approval for the academic year 2024-2025.

This is to bring to your kind knowledge that the following resolution was passed on 5th May, 2024 by the General Council of the Bar Council of India with respect to grant of provisional approval of affiliation, to existing Centers of Legal Education/Colleges, whose approval cum regular inspection fee has been deposited, application of extension of approval of affiliation is pending, but no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for the academic year 2024-2025.

“RESOLVED that with respect to existing Centers of Legal Education/Colleges, whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, such Centers of Legal Education/Colleges may continue to admit students only for the academic year 2024-2025. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University. Such provisional approval shall be subject to any decision taken after the inspection of the CLE is done by the Bar Council of India subsequently.

AN AFFIDAVIT THAT THE CENTRE OF LEGAL EDUCATION IS COMPLYING WITH THE BELOW STIPULATED NORMS, RULES, REGULATIONS AND MANDATORY GUIDELINES OF BAR COUNCIL OF INDIA AS WELL AS WITH ALL THE ENUMERATIONS STIPULATED IN THE ATTACHED CIRCULARS(WITH THIS LETTER) BEARING NOS. BCI: D: 465/2024 DATED 24.01.2024(ANNEXURE-B), BCI: D: 468/2024/CIR-006/2024(LE) DATED 20.05.2024(ANNEXURE-C), BCI: D: 469/2024(LE/CIR.007) DATED 21.05.2024 (ANNEXURE-D)AND BCI:D:525/2024 (LE CIRCULAR NO. 008/2024) DATED 30.05.2024(ANNEXURE-E) AND SHOW CAUSE NOTICES AND COMPLIANCE LETTER REFERRED TO IN ANNEXURE-A, ATTACHED TO THIS LETTER MUST BE SUBMITTED TO THE BAR COUNCIL OF INDIA WITHIN 15 DAYS OF THE RECEIPT OF THIS LETTER FAILING WHICH, THEIR APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL FOR 2024-25 SHALL NOT BE CONSIDERED AND IF APPROVAL, IS GRANTED FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-2025, THE SAME MAY BE WITHDRAWN TOO.

➤ **The provisional approval of affiliation shall be conditional and is subject to compliance as per circular dated 05.02.2020 bearing No.BCI:D:158 (LE:Circulation No.01/2020), issued to all Centers of Legal education, as per the extended time of such compliance, whereby every Centre of Legal Education/college is required to submit a certified authenticated bank statement bearing bank stamp, date and signature, mandatorily with respect to the salary/ies being disbursed to all the teachers/faculties every three months with effect from March, 2022 on a regular basis, unless specifically sought at other intervals, and also furnish list of teachers with qualifications as per BCI and UGC Rules, and further furnish proof/receipts of fulfillment of minimum library requirements, as enumerated under**

Typed by: M.J.
Fee & GA Checked: M.J
Default Amt. :M.J.
Compliance: M.J.
Meeting Letter: M.J.

Schedule-III, Rule-15, Minimum Library requirements of Legal Education Rules-which is the sine qua non of a Centre of Legal Education. Certain show cause notices and compliance letters had also been issued specifically to certain Centers of Legal Education/Colleges, with conditions mentioned therein, which have to be complied too as per the time stipulations therein, and if they have not been complied with they must be complied with immediately.

- The last date for compliance of the above referred circular has expired on 31st August 2022. It was extended from time to time due to the pandemic. As a last opportunity, ensure to comply with the same, otherwise the provisional approval of affiliation being issued herewith may be withdrawn.
- *You may kindly bear in mind that the Bar Council of India is the sole and supreme sanctioning authority for seats and it does not allow any supernumerary quota of seats for law degree courses, over and above the sanctioned strength of seats and whatever reservation of seats is to be done by the University under whichever quota as a rule has to be done within sanctioned strength of seats. The only supernumerary quota, as of now permitted by the Bar Council of India, is 10 percent seats in EWS quota over and above the sanctioned strength of seats allotted/approved by BCI and that too, is subject to adequate infrastructure and qualified faculty to accommodate the supernumerary seats. The same is required to be adhered to. If there is any default on such part and the same is discovered subsequently, action shall ensue.*
- *The CLE is advised to declare the same voluntarily for consideration of the same in a manner which will not be detrimental to interests of the students admitted, if any, over and above the sanctioned seats as a one time opportunity. The same shall not be construed to be applied prospectively.*
- *It is pertinent to point that no University in India can offer a 4 year LL.B or integrated LL.B, followed by a 1 year LL.M in tie up with a foreign University under the present BCI regulations. Such a Law degree, nor the post qualification after it, is recognised by Bar Council of India. The BCI only recognizes the pattern of a 12th class +3 (graduation in any stream+3 (year Law degree) and/or a 12 + 5 year integrated law degree.*
- *While exchange programs of teachers and students have been undertaken by Centres of Legal Education including, Law Universities in India, Dual Degrees or joint Degrees with Foreign Universities have not been permitted or recognized by BCI. It is essential to emphasize that any foreign collaboration involving legal education institutions, must strictly adhere to the regulatory framework established by the Bar Council of India. It cannot compromise on the quality of*

legal education mandated by the BCI It's worth noting that unless a degree is recognized by the BCI in India, it holds no validity within the country. Therefore, a degree obtained from an Indian University, being recognized solely in a foreign jurisdiction, without recognition in India, would be of no consequence to the university or its students.

- *Recognition and approval of law degrees are exclusively within the purview of the Bar Council of India. Consequently, if, upon thorough evaluation it is determined Law degrees are being issued by Universities against the rules and norms of Bar Council of India, recognition of such degree/s shall be withdrawn and such degree holders shall not be entitled to be enrolled in any State Bar Council in India.*
- *BCI and it's Legal Education Committee have time and again reiterated, stated and clarified, that it does not recognise LL.B and/or LL.M or any Law degree course through online mode, correspondence, open and/or distance learning mode.*
- *It has further come to the attention of the Bar Council of India and its Legal Education Committee that certain institutions are offering Master of Arts (MA) programs with a Law subject, in open and distance learning mode, or online mode which attempts to mimic the structure and content of a Master of Laws (LL.M.) program. Upon careful examination, it has been observed that such an endeavor is beyond the scope and intent of a Master of Arts Degree and is deemed impermissible. It is hereby clarified that such MA degrees will not be recognized by the BCI as equivalent to a Master of Laws (LL.M.) degree and for the purpose of teaching of LL.B. Course.*
- *It is crucial to clarify that the designation "MA" signifies "Master of Arts," whereas "LL.M." represents "Legum Magister," a Latin term denoting a "Master of Laws" Degree. The distinction between these two titles is significant, as an LL.M. degree is specifically tailored for graduates of law programs, whereas an MA degree encompasses a broader range of academic disciplines and is separate and distinguished from Master of Laws Degree. It is a deliberate attempt to bypass LL.M. in such a manner.*
- *The BCI emphasizes that an MA degree with a Law subject does not confer the same benefits or privileges as an LL.M. degree. Individuals holding an MA degree in Law will not be entitled to the benefits typically associated with possessing an LL.M. degree, nor will they be eligible to teach in LL.B degree programs. Pursuit of legal education at the postgraduate level, in the form of an LL.M. degree, is restricted to individuals who have completed their*

undergraduate legal studies while it is clarified that any specialized branch of law offered at the master's level, without the LL.B./BA.LL.B qualification as the requisite entry-level credential, shall not be recognised as equivalent to an LL.M. degree.

- *It is imperative for all stakeholders in the legal education sector to understand that the distinction between an MA degree and an LL.M. degree is significant. An MA degree with a Law subject does not fulfill the requirements for recognition by the BCI as a qualification equivalent to an LL.M. degree.*
- *This serves to clarify the position of the BCI on the recognition of MA degrees with a Law subject and to prevent any misconceptions regarding their equivalence to LL.M. degrees.*
- *The BCI and its Legal Education Committee has further also observed that running an MA (with Law subject) by any such mode is an attempt to mimic an LL.M, which is also not permitted by such mode.*
- *It has also been brought to the notice of Bar Council of India that some entities claiming to be Centre of Legal Education are offering courses through distance education/correspondence mode, under the nomenclature of the degree of LL.M. or LL.M. professional, where anyone even without LL.B. can get an LL.M. degree, and, the same persons are also getting registered for Ph.D., appearing for UGC NET etc. thereby diluting quality of legal education.*
- *This is an illegal practice and Bar Council of India shall not hesitate in taking stringent action against such centres.*
- *As per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 29.08.2019 passed in Writ Petition (Civil) No.1510 of 2018, titled as Vinit Garg Vs. University Grants Commission and as per the earlier order of Hon'ble Supreme Court of India dated 03.11.2017 passed in Civil Appeal Nos.17869-17870, arising out of SLP No. 19807-19808/2012 in the case of Odisha Lift Irrigation Corp Ltd. Vs Ravi Shankar Patro&Ors., the Hon'ble Supreme Court has held that an University has to obtain permission from the concerned regulatory body for initiating/starting, opening and conducting any distance learning course/s.*
- *As per UGC Regulations 4(A)(iv), (Open and Distance Learning Programmes & Online Programmes) Regulations, 2020, the Higher Educational Institution must have the approval or recommendations of the statutory or regulatory authority, in this case, the Bar Council of India (BCI), for offering law*

programs in Open and Distance Learning mode or Online mode.

- *Explanation: Programmes as mentioned at clause (iv) shall be considered only when these are recommended by the respective statutory or regulatory authority or regulatory council to offer in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable.....”*
- *Furthermore, the Distance Education Bureau under UGC explicitly prohibits courses in engineering, law, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, physiotherapy, applied arts, and other such programs from being offered through online mode without approval from the respective statutory or regulatory bodies.*
- *Some Universities, including some reputed Universities are running such programs in flagrant violation of clear directives and guidelines as stipulated above and without even having made a request or application to BCI in this regard. It is categorically made clear, such programs have no recognition and/or approval from BCI.*
- *CLE’s must ensure to comply with these directives, failing which necessary action will ensue.*
- *An affidavit/undertaking to comply with the conditions mentioned above shall be required to be submitted by way of duly notarized affidavit within 15 days of receipt of this letter by way of hardcopy and also by way of scanned copy at complianceaffiliationle2@gmail.com with heading-COMPLIANCE TO PROVISIONAL APPROVAL-REQUIREMENTS.*

It is made clear that if any Centre of Legal Education, comply to above then their application for extension of approval for 2024-2025 shall not be considered and, if, approval is granted for the academic session 2024-2025, it may be withdrawn.

Since your University has given affiliation for the academic year 2024-2025 to the following Law Colleges, you are requested to allow them to admit students in concerned course/s as per the detail given for the academic year 2024-2025.

The CLEs mentioned in this letter are thus allowed to admit students in the mentioned law courses with the specified intake as mentioned herein for the academic year 2024-2025 subject to the condition mentioned above.

There are other law colleges, who may have received affiliation by you for the year 2024-2025, which may not find mention here as some law colleges have been granted individual approval letters too.

This is being sent in a batch due to your convenience. We shall follow it up with names of other colleges as and when we approve the same.

Admission process may be allowed only for those Centres of Legal Education/Law Colleges who have been approved by the Bar Council of India including the batch names of the CLEs mentioned below and/or those law colleges who have been otherwise issued individual approval letters.

S.No.	Name of Law College/s	Law Courses with Intake
1.	The Principal, NAS College Meerut, Nanakchand Anglo Sanskrit College, Meerut, Uttar Pradesh	3yr LL.B(180)
2.	The Principal, Mewar Law Institute, Sector - 4-C, Vasundhara Delhi - Ghaziabad Link Road, Ghaziabad - 201010 Uttar Pradesh	5yr BA LL.B (H)(120) 5yr BBA LL.B (H)(120)
3.	The Principal, Janhit College of Law, 38-B, Knowledge Park, Phase - I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh	3yr LL.B (300) 5yr BA LL.B (60)
4.	The Principal, Modern college of Law, Anand Industrial Estate, Mohan Nagar - 201007 Uttar Pradesh	3yr LL.B (180)
5.	The Principal, Kamkus College of Law, B Block, Sector - 23, Sanjay Nagar, Ghaziabad - 201002, Uttar Pradesh	3yr LL.B (300) 5yr BA LL.B (300) 5yr B.Com LL.B (120)
6.	The Principal, IMIRC College of Law, Garh Bulandshar Road, Bhaina Garhmukteshwar, Ghaziabad - 245205 Uttar Pradesh	3yr LL.B (300) 5yr BA LL.B (120)
7.	The Principal, Indcare College of Law, 30/16, 30/17, Knowledge Park - III, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201308	3yr LL.B (120)
8.	The Principal, Gayatri Devi College of Law, Chhaptauli Road, Baraut (Bhagpat) - 250611 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
9.	The Principal, Ram Kali College of Law, Bilashpur Greater Noida, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)

Typed by: M.J.
Fee & GA Checked: M.J.
Default Amt. :M.J.
Compliance: M.J.
Meeting Letter: M.J.

10.	The Principal, Sunder Deep College of Law, Dasna, Ghaziabad - 201001 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120) 5yr BA LL.B (120)
11.	The Principal, Dayanand Vidyapeeth College of Law, Village Shoulda, Block Machhara Garh Rd, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
12.	The Principal, Unique Law College, NH-58, UIMT City Near Gang Nahar Muradnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
13.	The Principal, Smt. Mohan Kaur College of Law, Village - Dagarpur, Tehsil - Khekra, Distt. Baghpat, Uttar Pradesh - 205101	5yr BA LL.B (60)
14.	The Principal, J.P College of Law, Singhawali Ahir, Meerut Road, Bhagpat, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
15.	The Principal, Shatabdi Law College, Village : Kayasthgaonwari Mohiuddinpur, Meerut - 250205 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
16.	The Principal, Ambay College of Law, Village - Bhimyari, Bahugarh Chhavni, Distt. Hapur - 245201 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
17.	The Principal, CERT College of Law, NH-58, Partapur Bye-Pass Road, Meerut - 250103, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
18.	The Principal, Samrat Prithviraj Chauhan College of Law & Technology, Near Mahila Thana Muradnagar Road; Distt. Baghpat - 250609 Uttar Pradesh	5yr BA LL.B (120)
19.	The Principal, Modern Degree College of Law, NH-58, Delhi - Meerut Road, Duhai, Ghaziabad - 201206 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
20.	The Principal, Satyam Law College, Naya Gaon Road, Village Anwarpur, Hapur - 245304 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)

Typed by: M.J.
Fee & GA Checked: M.J.
Default Amt. :M.J.
Compliance: M.J.
Meeting Letter: M.J.

21.	The Principal, Shri Vinayak College of Law, Delhi – Sharanpur Road, Mavikalan, Distt. Baghpat, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
22.	The Principal, Mawana College of Law, Mawana Bijnor Road, Tehsil Mawana, Distt. Meerut, Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
23.	The Principal, Smt. Rajrani Chauhan Law College, (SRC), Village – Amehra Saani, PO-Bhatipura, Garh Road, Meerut – 250001 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120)
24.	The Principal, Meghnath Singh Shishodia College of Law, Dhaulana, Distt. Hapur, Uttar Pradesh – 245301	3yr LL.B (120) 5yr BA LL.B (60)
25.	The Principal, Ch. Dalel Singh Law College, Badrudin Nagar, Nanu, Meerut – 250341 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120) 5yr BA LL.B(120)
26.	The Principal, Dewan Law College, NH-58, By – Pass Road, Partapur, Meerut – 250103 Uttar Pradesh	3yr LL.B (120) 5yr BA LL.B(120) 5yr B.Com LL.B(120)
27.	The Principal, B.D.S School of Law, Sector – 8, Jagriti Vihar (Near Somdatt Vihar), Opposite Medical College Garh Road; Meerut – 250004 Uttar Pradesh	3yr LL.B (180) 5yr BA LL.B(60)



Universities who have not yet completed one time online registration on the basis of the link/s sent on their official email id's are required to fill the registration form, & upload registered documents and photographs within a period of 21 days, failing which appropriate action will ensue.

The compliances and pending fee/ any other fee which may be payable in future may be kindly ensured to be complied with.

Non-compliance shall result in necessary action.

Note – Kindly ensure to submit English translation of all documents being furnished by you in Hindi or in any other regional language to BCI.

Typed by: M.J.
Fee & GA Checked: M.J.
Default Amt. :M.J.
Compliance: M.J.
Meeting Letter: M.J.


Note- In accordance with the Council resolution passed on February 20, 2022, the refundable guarantee amount per course, is set at Rs. 5 lakh. Additionally, (C.L.E.'s) who had previously deposited a guarantee fee of Rs. 2 lakhs are now required to pay the remaining Rs. 3 lakhs to meet the total guarantee fee of Rs. 5 lakhs for a single course. For each additional course, the guarantee fee stands at Rs. 5 lakhs per course.


Very important: - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationle2@gmail.com, apart from copying it to dlebci@gmail.com. Please do not send any email/s to proledepartment@gmail.com.

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebci@gmail.com

This is for your information and necessary compliance and action

Yours sincerely,


(Nalin Raj Chaturvedi)
Joint Secretary, BCI
[Legal Education Department]


(Ashok Kumar Pandey)
Joint Secretary
HOD, Legal Education Dept.


(Srimanto Sen)
Secretary

The Secretary
Bar Council of Uttar Pradesh
19 maharishi Dayanand Marg
Allahabad, Uttar Pradesh

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/1824

दिनांक : 06.7.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध निम्नलिखित अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित एल०एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

1. मेरठ कालेज, मेरठ।

✓ 2. एन०ए०एस० कालेज, मेरठ।


3. डी०ए०बी० कालेज, मुजफ्फरनगर।

4. एन०एम०एच कालेज, गाजियाबाद।

5. जे०बी० जैन कालेज, सहारनपुर।

6. एन०आर०ई०सी० कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर

सवदीय


6-7-19
कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



Ref. No: Aff/1827
Dated: 16/11/2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mevar Law Institute, Ghaziabad (U.P.) is affiliated to the Ch. Charan Singh University, Meerut and the following Course/Subjects are taught in the said college as per approval.

Sl.No	Name of the Course	Affiliation
1.	B.A.LL.B. (Five Years)	Per. Affiliation
2.	LL.B. (Three Years)	Per. Affiliation


16/11/2020
Registrar

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1367
दिनांक : 14.6.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि जनहित कालेज ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्वयत्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) एवं एल0एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2006 एवं 01.07.2010 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव 14-6-19

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1513
दिनांक : 19.6.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि माडर्न कॉलेज ऑफ लॉ, मोहन नगर, गाजियाबाद को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एलएलबी (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2010 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव

F

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1876
दिनांक : 27.7.2023

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्ब्रिज कॉलेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है। महाविद्यालय को बी०काम०एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 4338
दिनांक : 11.1.2018

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कैम्पस कालेज ऑफ लॉ, संजय नगर, गाजियाबाद को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बी0 (पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्वयं चिन्तित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कगियों यथा-प्रामाण्य का नवीनीकरण, अभिनयमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एल0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कगियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कगियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासन/अध्यादेश-2851/सन्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः दिनांक 31.12.2017 को आहत कार्य परिपद की स्वीकृति के आलोक में कैम्पस कालेज ऑफ लॉ, संजय नगर, गाजियाबाद को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बी0 (पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्वयं चिन्तित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
2. सचिव, कैम्पस कालेज ऑफ लॉ, संजय नगर, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लैका) को सूचनाार्थ।
4. प्रभारी कमेंटी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी गैर-मौख (प्रोफेशनल/परीक्षा) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी इंटरेक्ट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सहायक संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कष्ट धरे।
8. मार्ग फाइल हेतु।

कुलसचिव

गोपनीय दस्तावेज़ प्रिन्टिंग कार्यालय, मेरठ

Confidential Document Printing Office, Meerut

पत्रिका संख्या / ३७१

दिनांक १४/०७/२०१९

प्रिन्टिंग कार्यालय

गोपनीय दस्तावेज़ प्रिन्टिंग कार्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत में प्रिन्टिंग कार्यालय को स्थापित करने के लिए
आवृत्तियों के माध्यम से प्रिन्टिंग कार्यालय को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
प्रिन्टिंग कार्यालय को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रिन्टिंग कार्यालय को स्थापित करने के लिए
प्रस्तावित किया गया है। प्रिन्टिंग कार्यालय को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रिन्टिंग कार्यालय को स्थापित करने के लिए

अवधि

१५ दिवस

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/61
दिनांक :- 30.6.2020

ई - मेल

सेवा में,

सचिव,
सी0ई0आर0टी0 कालेज ऑफ लॉ,
एन0एच0 - 58, परतापुर, बाईपास रोड,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एल0एल0वी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2020 से सम्बद्धत विस्तारण हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण किया गया परीक्षापूर्वपत्र पत्रावली में निम्न कमियाँ हैं:-

01. एफ0डी0आर0 सोसाइटी के नाम है कालेज के नाम होना अपेक्षित है।
02. मानकानुसार बैंक बैलेंस कम है।
03. विश्वविद्यालय से प्रमाणित परीक्षाफल वांछित है।
04. सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र वांछित है।
05. अग्निश्मन का प्रमाणपत्र कालबाधित है।
06. ए0आई0एस0एच0ई0 का प्रमाण पत्र वांछित है।

अतः उपरोक्त अभिलेख विश्वविद्यालय को दिनांक 01.07.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे आपके सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

37	LINK ROAD, P.O. HINDON NAGAR, CASANA, GHAZIABAD.	LL.B. (3 YRS.)	Per. Affiliation from 01-07-14	120	Permanent
37	IMRC COLLEGE OF LAW, WILHELMIA, POST-SHAINA, HAPUR	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-14	180	Permanent
		LL.B. (5 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-19	120	Permanent
48	S.R. COLLEGE OF LAW, VILL- DOSA, BANJARPUR, MURADNAGAR, GHAZIABAD	LL.B. (3 YRS.)	From 01-07-2020 to 30-06-2021	120	Temporary
		LL.B. (5 Yrs.)	From 01-07-2019 To till 30-06-2024	120	Temporary
49	AAMNA LAW COLLEGE, OPPOSITE STATE BANK (NH-24) TOWN, DANSAHA, GHAZIABAD	LLB (Five Year)	From 01-07-17 To till 30-06-22	120	Temporary
		LL.B. (3 YRS.)	From 01-07-18 To till 30-06-21	120	Temporary
50	KRISHNA INSTITUTE OF LAW NH-24, JINDAL NAGAR, HAPUR	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation 01-07-2017	240	Permanent
		LL.B. (5 Yrs.)	From 01-07-18 To till 30-06-21	60	Temporary
51	AMBAY COLLEGE OF LAW, BHIMYARI, HAPUR	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-19	120	Permanent
52	TRANSAM COLLEGE OF LAW, P.O. RAJAPURA, MAWANA ROAD, MEERUT	LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-06	60	Permanent
		LL.B. (3 Yrs.)	From 01-07-20 To till 30-06-21	120	Temporary
53	B.D.S. SCHOOL OF LAW, SECTOR-8, JAGRITI VIHAR, OPP. MEDICAL COLLEGE, MEERUT.	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-06	180	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Aff. from 01-07-2019	60	Permanent
54	DEWAN LAW COLLEGE, PARTAPUR, Permanent B.YE PASS ROAD, MEERUT	LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-08	120	Permanent
		LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-13	120	Permanent
		B.Com. LL.B. (5 yrs.)	From 01-07-13 To till 30-06-23	Temporary
55	BHAGWATI COLLEGE OF LAW, SIVAYA, ROORKEE ROAD, MEERUT	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-06	120	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-08	120	Permanent
56	MAHAVEER INSTITUTE OF LAW, POHALI, SARADHANA ROAD, MEERUT	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-13	240	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-19	120	Permanent
57	DIVINE LAW COLLEGE, VILL-POST-MAUKHAS, GARH ROAD, MEERUT	LL.B. (3 Yr.)	Per. Affiliation from 01-07-14	120	Permanent
58	S.R.C. (SMT. RAJANI CHAUHAN), LAW COLLEGE, VILL-AMHERA SAANI, PO. BHATIPURA, GARH ROAD, MEERUT.	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-17	120	Permanent
59	DAYA NAND VIDYAPEETH COLLEGE OF LAW, BLOCK-MACHARA, KITHORE, THE MAWANA, MEERUT	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-17	120	Permanent
60	G.E.R.T. COLLEGE OF LAW, PARATAPUR, MEERUT	LL.B. (3 yrs.)	From 01-07-20 To till 30-06-21	120	Temporary
61	S.D. COLLEGE OF LAW, S.D. COLLEGE CAMPUS, SHOPA ROAD, MUAFFARNAGAR.	B.Com LLB	From 01-07-2019 To till 30-06-2024		Temporary
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-08	180	Permanent
		LL.B. (3 yrs.)	From 01-07-13 To till 30-06-21	60	Temporary




चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/५७५
दिनांक - 22.5.2021

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि इडकेयर कालेज ऑफ लॉ, 30/16, 30/17, नालंदा पार्क-तृतीय फेजर
नोएडा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध संस्थान है। संस्थान में स्वयंसेवक योजना के
अन्तर्गत एल0एल-बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थान को एल0एल-बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में
दिनांक 01.07.2021 से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।


कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1186
दिनांक : 12.6.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि गायत्री देवी कालेज ऑफ लॉ, बडौत, बागपत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव

	MAHESHWARAM COLLEGE OF EDUCATION & LAW MANAGEMENT, VILLAGE & POST-BASAWARA, SYANA, BULANDSHAHAR	LL.B. (5 yrs.)	From 01-07-16 TO till 30-06-21	120	Temporary
		LL.B. (3 YRS.)	From 01-07-20 TO till 30-06-23	120	Temporary
16-	HARLAL SCHOOL OF LAW, PLOT NO. - 8, INSTITUTIONAL AREA, GREATER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-05	240	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-04	160	Permanent
17-	JANHIT COLLEGE OF LAW, PLOT NO.-35, KNOWLEDGE PARK-I, GARTER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-05	320	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 03-07-10	120	Permanent
18-	LLOYD LAW COLLEGE, GREATER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-12	300	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-13	300	Permanent
19-	INNOVATIVE INSTITUTE OF LAW, PLAT NO. 5, KNOWLEDGE PARK-2, GREATER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-03	130	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-10	60	Permanent
20-	ISHAN INSTITUTE OF LAW, PLOT NO. 1A/2, KNOWLEDGE PARK-1, GREATER NOIDA	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-17	120	Permanent
		LL.B. (5 Yrs.)	From 01-07-16 To till 30-06-21	120	Temporary
21-	N.M.T. COLLEGE OF LAW PLOT NO. A-20, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA	LL.B (3 YRS.)	From 01-07-18 To till 30-06-2021	120	Temporary
		LL.B (5 YRS)	From 01-07-20 To till 30-06-2021	120	Temporary
22-	PARSANDI DEVI COLLEGE OF LAW, BILASHPUR, GREATER NOIDA	LL.B (3 Yr.)	Per. Affiliation from 01-07-11	180	Permanent
		LL.B. (5 Yr.)	Per. Affiliation from 01-07-14	120	Permanent
23-	N.I.M.T. VIDHI KANOON & SANSTHAN, K.P.-1 PLOT NO. 41, KASANA ROAD, PARI CHOWK, GREATER NOIDA.	LL.B 03 Year	From 01-07-2019 To till 30-06-2022		Temporary
		LL.B. (5 Yrs)	From 01-07-17 TO till 30-06-22	120	Temporary
24-	INDRAPRASTHA LAW COLLEGE, PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK 3, GREATER NOIDA	LL.B. (3YR.)	Per. Affiliation from 01-07-15	300	Permanent
		LL.B. (5 YR.)	From 01-07-15 TO till 30-06-24	120	Temporary
25-	INDICARE COLLEGE OF LAW, PLOT NO.30/16-17, KNOWLEDGE PARK-3, GREATER NOIDA	LL.B (3 YRS.)	From 01-07-20 TO till 30-06-21	120	Temporary
26-	KESHAV MADHAV VIDHI SHISHAN SANSTHAN, DOOM MAANKIPUR, DADRI, GAUTAMBUDH NAGAR	LL.B (3 Yrs.)	From 01-07-17 To till 30-06-20	130	Temporary
27-	N.C.P.E. COLLEGE OF LAW, DHODMMANIKPUR, NEAR-DADRI, GAUTAM BUDH NAGAR	LLB (5 Yrs.)	From 01-07-15 To till 30-06-20	120	Temporary
28-	RAMKALI COLLEGE OF LAW, VBILASHPUR, GAUTAMBUDH NARGAR	LL.B (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-13	120	Permanent
29-	ST THOMAS COLLEGE OF LAW PLOT NO.33A/2, KNOWLEDGE PARK-3, GREATER NODIA	LL.B (3 Yrs.)	From 01-07-20 To till 30-06-23	120	Temporary
		LL.B (5 Yrs.)	From 01-07-17 To till 30-06-22	120	Temporary
30-	MEWAR LAW COLLEGE, SECTOR 4-C, VASUNDHRA, DELHI-GHAZIABAD LINK ROAD, GHAZIABAD	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-03	240	Permanent
		LL.B. (5 yrs)	Per. Affiliation from 01-07-03	180	Permanent
31-	I.P.E.M. LAW ACADEMY, A-13/1, SOUTH OF G.T. ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-HAPUR BYPASS, NATIONAL HIGHWAY-24, GHAZIABAD	LL.B. (3 yrs)	Per. Affiliation from 01-07-07	180	Permanent
		B.Com LL.B	From 01-07-2019 To till 30-06-2024	-----	Temporary
		LL.B (5 yrs)*	Per. Affiliation from 01-07-15	120	Permanent
32-	UNIQUE LAW COLLEGE, NIQUE CITY, NH-33, GANGA NAHAR, MURADNAGAR, MODINAGAR (GHAZIABAD)	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-17	120	Permanent

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/6306
दिनांक :- 30.6.2020

ई - मेल

सेवा में,
सचिव,
सी0ई0आर0टी0 कालेज ऑफ लॉ,
एन0एच0 - 58, परतापुर, बाईपास रोड,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्थान में स्विकृत पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एल0एल0वी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2020 से सम्बद्धता विस्तारण हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षापूर्वपत्र पत्रावली में निम्न कमियाँ हैं:-

01. एफ0डी0आर0 सोसाइटी के नाम हैं कालेज के नाम होना अपेक्षित हैं।
02. मानकानुसार बैंक बैलेंस कम है।
03. विश्वविद्यालय से प्रमाणित परीक्षाफल वांछित है।
04. सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र वांछित है।
05. अग्निशमन का प्रमाणपत्र कालबाधित है।
06. ए0आई0एस0एच0ई0 का प्रमाण पत्र वांछित है।

अतः उपरोक्त अभिलेख विश्वविद्यालय को दिनांक 01.07.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे आपके सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

	MAHESHWARAM COLLEGE OF EDUCATION & LAW MANAGEMENT, VILLAGE & POST-BASAWARA, SYANA, BULANDSHASHR	LL.B. (5 yrs.)	From 01-07-16 TO till 30-06-21	120	Temporary
		LL.B. (5 YRS.)	From 01-07-20 TO till 30-06-23	120	Temporary
16-	HARLAL SCHOOL OF LAW, PLOT No. - 8, INSTITUTIONAL AREA, GREATER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-06	240	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-04	180	Permanent
17-	IANRIT COLLEGE OF LAW, PLOT NO. 35, KNOWLEGE PARK-I, GARTER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-05	320	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-10	120	Permanent
18-	LLOYD LAW COLLEGE, GREATER NOIDA	LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-11	300	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-10	300	Permanent
19-	INNOVATIVE INSTITUTE OF LAW, PLAT NO. 5, KNOWLEDGE PARK-2, GREATER NOIDA	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-03	180	Permanent
		LL.B. (5 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-10	60	Permanent
20-	ISHAN INSTITUTE OF LAW, PLOT NO. 1A/2, KNOWLEDGE PARK-1, GREATER NOIDA	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-17	120	Permanent
		LL.B. (5 Yrs.)	From 01-07-16 To till 30-06-21	120	Temporary
21-	N.I.M.T. COLLEGE OF LAW PLOT NO. A-20, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA	LL.B. (3 YRS.)	From 01-07-13 To till 30-06-2021	120	Temporary
		LL.B. (5 YRS)	From 01-07-20 To till 30-06-2021	120	Temporary
22-	PARSANDI DEVI COLLEGE OF LAW, BILASHPUR, GREATER NOIDA	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-11	180	Permanent
		LL.B. (5 Yr.)	Per. Affiliation from 01-07-14	120	Permanent
23-	N.I.M.T. VIDHI KANOON & SANSTHAN, K.P.-1, PLOT NO. 41, KASANA ROAD, PARI CHOWK, GREATER NOIDA.	LL.B. 03 Year	From 01-07-2019 To Till 30-06-2022		Temporary
		LL.B. (5 Yrs)	From 01-07-17 To till 30-06-22	120	Temporary
24-	INDRAPRASTHA LAW COLLEGE, PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK 3, GREATER NOIDA	LL.B. (3YR.)	Per. Affiliation from 01-07-15	300	Permanent
		LL.B. (5 YR.)	From 01-07-19 TO till 30-06-21	120	Temporary
25-	INDCARE COLLEGE OF LAW, PLOT NO.30/16-17, KNOWLEDGE PARK-3, GREATER NOIDA	LL.B. (3 YRS.)	From 01-07-20 TO till 30-06-21	120	Temporary
26-	KESHAV MADHAV VIDHI SHISHAN SANSTHAN, DOOM MAANKIPUR, DADRI, GAUTAMBUDH NAGAR	LL.B. (3 Yrs.)	From 01-07-17 To till 30-06-20	120	Temporary
27-	N.C.P.E. COLLEGE OF LAW, DHODMMANIKPUR, NEAR-DADRI, GAUTAM BUDH NAGAR.	LL.B. (5 Yrs.)	From 01-07-13 To till 30-06-20	120	Temporary
28-	RAMKALI COLLEGE OF LAW, VBILASHPUR, GAUTAMBUDH NARGAR	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-13	120	Permanent
29-	ST THOMAS COLLEGE OF LAW PLOT NO.33A/2, KNOWLEDGE PARK-3, GREATER NODIA	LL.B. (3 Yrs.)	From 01-07-20 To till 30-06-23	120	Temporary
		LL.B. (5 Yrs.)	From 01-07-17 To till 30-06-22	220	Temporary
30-	MEWAR LAW COLLEGE, SECTOR 4-C, VASUNDHRA, DELHI-GHAZIABAD LINK ROAD, GHAZIABAD	LL.B. (3 yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-03	240	Permanent
		LL.B. (5 yrs)	Per. Affiliation from 01-07-03	180	Permanent
31-	I.P.E.M. LAW ACADEMY,, A-13/1, SOUTH OF G.T. ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-HAPUR BYPASS, NATIONAL HIGHWAY-24, GHAZIABAD	LL.B. (3 yrs)	Per. Affiliation from 01-07-07	180	Permanent
		B Com LL.B.	From 01-07-2019 To till 30-06-2024		Temporary
		LL.B. (5 yrs)*	Per. Affiliation from 01-07-16	120	Permanent
32-	UNIQUE LAW COLLEGE, NIQUE CITY, NH-58, GANGA NAHAR, MURADNAGAR, MODINAGAR, (GHAZIABAD)	LL.B. (3 Yrs.)	Per. Affiliation from 01-07-17	120	Permanent

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्राक - सम्यदता/224y
दिनाक - 29/9/2021

जिल किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि सुन्दरदीप कॉलेज ऑफ लो, एन0एच0-24, दिल्ली-हापुड रोड, गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सार्वद्व स्वयित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सञ्चालित महाविद्यालय ड, महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) एवं बी0ए0 एल0एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम सञ्चालित है। संस्थान को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) एवं बी0ए0 एल0एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01/07/2021 से स्थायी सम्यदता प्राप्त है।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्प्रदाता/1924
दिनांक : 0-6-2019

गिज़ विज्ञी से सम्बन्धित छे

प्रमाणित किया जाता है कि दयानन्द विद्यापीठ कालेज ऑफ लॉ, राबिन्स, गढ़ रोड, मेरठ को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्थापित पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0पी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्प्रदाता प्राप्त है।

गवर्नीय


कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/9465
दिनांक : 21.12.2020

जिस किसी से सम्बन्धित हो


प्रमाणित किया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ कॉलेज, मुरादनगर, गाजियाबाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है, महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा संस्थान को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2017 से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव
15.12.2020

LALIT KUMAR SHRIVASTAVA
(Dr. Asstt)

संजीव कुमार
(सहायक कुलसचिव)


Secretary
Unique Law College
Muradnagar (Gzb.)



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब/ 1273 /2023

दिनांक: 13/06/2023

14

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 13/06/2023) से SMT. MOHAN KAUR COLLEGE OF LAW, VILL-DAGARPUR, POST-RATAUL K को UG स्तर पर

Course Name

Subject Name

1. BACHELOR OF LAW(5 YEARS) (2023-2024)

LAW

विषयों में स्वतंत्रपोषित योजना अर्थात् सत्र 2023-2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- 1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-2024 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संबंधित पाठ्यक्रम विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- 2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्र-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही स्वयंमानुसार की जायेगी।
- 5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- 6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही आवश्यक होगी।
- 7- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्र-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया

8- मालिकानुसार शिक्षण का निरन्तरता एवं बँक के माध्यम से उनके वतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासनविश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

3-6-20
कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग,....., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Baghpat मण्डल।
4. प्रबन्धक, SMT. MOHAN KAUR COLLEGE OF LAW, VILL-DAGARPUR, POST-RATAUL K को इस आशय में प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, SMT. MOHAN KAUR COLLEGE OF LAW, VILL-DAGARPUR, POST-RATAUL K, Baghpat।
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित प्रवावली।

1
कुल सचिव

बोधारी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut




संख्या: सा/सा/1/69/4

दिनांक: 22-06-2019

विस. क्रि. सं. से सम्बन्धित है।

संज्ञित किया जाता है कि जे.पी. कॉलेज फॉर लॉ, सिधवली अहीर, जगतपद बागभरा, पोस्ट, मेरठ
सिटी विश्वविद्यालय, मेरठ से प्रस्ताव संज्ञित योग्यता की शर्तों पर साक्षात्कृत महाविद्यालयों के साथ
महाविद्यालय में एल.एल.बी. (बी.एस.) एडमिशन सम्बन्धित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित फॉर्म
महाविद्यालय को दिनांक 01/07/2019 को प्राप्त हुआ है।

भवदीय


कुलसचिव

Secretary

J.P. College For Law
Singhwal Aheer, Baghbar

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1349
दिनांक : 14.6.2019

धिरा किसी से सम्बद्धता है

सम्बद्धता सिद्धांत का अर्थ है कि रत्नाब्दी लॉ कॉलेज, ज्ञान-काकरा सावड़ी, नाहिउद्दीनपुर, मेरठ लॉ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्वयंसेवक फौजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0सी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा सबत पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2014 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव

-/Signature

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1500
दिनांक : 19.6.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

पमाणित किया जाता है कि अन्धे कालेज ऑफ लॉ, बादूगढ छावनी, भिम्यारी, हापुड को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्वयित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2019 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव
19/6/19

SL



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब/ 945 /2023

दिनांक: 28/05/2023
30

स्थायी सम्बद्धता-आदेश


उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 28/05/2023) से CERT College of Law, Meerut को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BACHELOR OF LAWS (2023-2024)	LAW

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2023-2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- 1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-2024 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- 2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- 6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
- 7- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- 8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

इस सम्बद्धता आदेश का प्राप्त क पश्चात् हा प्रवेश का कार्यवाहा का जायगा। पाठयक्रम म प्रवेश शासन/
लेन द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।


कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..... उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Meerut मण्डल,
4. प्रबन्धक, CERT College of Law, Meerut को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, CERT College of Law, Meerut, Meerut
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

/
कुल सचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/२०१४

दिनांक : १-४-२०२२

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कालेज ऑफ लॉ एण्ड टेक्नोलॉजी, बागपत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है। महाविद्यालय में बी०ए०एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थान को बी०ए०एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक ०१.०७.२०२२ से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ


चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/2288
दिनांक 29.9.2021

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि मॉडर्न डिग्री कालेज ऑफ लॉ, दुहाई, गाजियाबाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्वचित्त प्रोषित योजना के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय है, महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थान को एल0एल0बी (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2021 से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।


कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/SS
दिनांक : 07.06.2024

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि सत्यम लॉ कालेज, नया गाँव रोड, अनवरपुर, हापुड चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है। महाविद्यालय को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2020 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


07.06.2024
कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/4026/4026
दिनांक : 24-9-2021

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनायक कालेज ऑफ लॉ, मवीकला, दागपत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित संस्थान है। संस्थान में संचालित एल0एल0वी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2020 से स्थाई सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

भवदीय


24-9-2021
कुलसचिव
कुलसचिव
श्री चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

11


चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1900
दिनांक :- 25.7.2022

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि मवाना कालेज ऑफ लॉ, मवाना रोड, मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय है। महाविद्यालय में विधि संकायान्तर्गत एलएल-बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थान को एलएल-बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2022 से स्थायी सम्बद्धता सम्बद्धता प्राप्त है।


कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1365

दिनांक : 14.6.2019


जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि एस0आर0सी0 (श्रीमती राजरानी चौहान) लॉ कालेज, ग्राम-अम्हेड़ा सानी, पोस्ट-भदीपुरा, तहसील-मवाना, परगना किदौर, जिला- मेरठ को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्वयत्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


14-6-19
कुलसचिव

Self
ATTESTED


Chairman
S. R. C. Law College
Meerut (U.P.)



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

दर्भ संख्या: CHARANUNI/संव/ 3652 /2022

दिनांक: 22/09/2022

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 22/09/2022) से Meghnath singh Shishodia College of Law को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
BACHELOR OF LAW(5 YEARS) (2023-2024)	LAW
BACHELOR OF LAWS (2023-2024)	LAW

पाठ्यक्रम में स्वतंत्रतायुक्त योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- 1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिणियम 13.30 "The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction" की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- 2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिणियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- 3- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 4- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा संचालन करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से सुसंगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की पूर्ति निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शर्तों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिणियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।



ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

दिनांक: 22/09/2022

30/9/2022
CHARANUNI सब

अस्थापी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (विश्वविद्यालय सार प्रत्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम 2014) की धारा 3(2) के अन्तर्गत उक्त स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशासा एवं कार्यपरिषद की दिनांक 22/09/2022 को **SH. DALEL SINGH LAW COLLEGE, NANU, MEERUT** को UG स्तर पर

Course Name

Subject Name

B.A. HONOURS IN LAW, 5 YEARS (2023-2024)

LAW

उक्त सम्बद्धता प्रस्ताव दिनांक 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की

संस्था/महाविद्यालय द्वारा कक्षा एवं छात्र-की में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 "The college may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for the classes have in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned" का व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की

परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापन/अध्यापन कार्य सम्भर कराया जायगा।

संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्मित अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

संस्था/महाविद्यालय महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा संचालन से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से आगे बढ़ते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के प्राचार्य एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की पूर्ति निरन्तर पूरी कर रहा है।

5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शर्तों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधिनियम के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

सम्बद्धता संख्या 421/संतर-1-2015-16(2012/2011) दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित का

प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की निम्नलिखित एवं बैंक के माध्यम से उनके बैंक भूतल महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश संख्या 61859/2012 में सी० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित के सम्बन्ध में निर्गत शासनआदेश संख्या 522/संतर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के अनुसार महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा सम्बन्धित पूर्ण सत्यापन महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित के लिए प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित का अनिवार्य रूप से तब तक में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल सचिव

1. महाविद्यालय की सुविधाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

2. महाविद्यालय के सम्बन्धीय कक्षाओं की के अवलोकनार्थ -

3. महाविद्यालय का बैंक अनुभाग - उ०प्र० शासन लखनऊ।

4. महाविद्यालय अधिकारी Meerut महाविद्यालय

5. महाविद्यालय CH. DA. S. SINGH LAW COLLEGE, NANU, MEERUT को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. महाविद्यालय CH. DALEL SINGH LAW COLLEGE NANU, MEERUT, Meerut

7. महाविद्यालय के सम्बन्धीय

8. महाविद्यालय के सम्बन्धीय


कुल सचिव
20/11



ऑनलाइन एन.ओ.सी. एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब/ 1016 /2023

दिनांक: 29/05/2023

01/06.

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

2020 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 29/05/2023) से CH. DALEL SINGH LAW COLLEGE, NANU, MEERUT को

उ स्तर पर

Course Name

Subject Name

BACHELOR OF LAWS (2023-2024)

LAW

विषयों में स्विकृतपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2023-2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-2024 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सदभित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/संतर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय कुलराविव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समयांतर में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/संतर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं ब्रेक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।


चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्यक्ता/2-2/41
दिनांक 28/9/23

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान लॉ कार्लेज एन0एच0-68, बार्डपारा रोड, परदापुर, मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बन्ध स्थापित प्रोफ़ेसर गोकुल को अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय है। महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय), बी0ए0 एल0एल0बी0 (दो वर्षीय) एवं बी0कॉम0 एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थान को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम से दिनांक 01.07.2013 से तथा बी0ए0 एल0एल0बी0 (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2008 से स्थायी सम्बन्धता प्राप्त है तथा बी0कॉम0 एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.06.2023 तक अस्थायी सम्बन्धता प्राप्त है।


कुलसचिव



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संव/ 1161 /2023

दिनांक: 13/06/2023
14

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 13/06/2023) से DEWAN LAW COLLEGE PARTAPUR, BYE PASS ROAD, MEERUT को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1. BACHELOR OF COMMERCE AND BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (2023-2024)	BACHELOR OF COMMERCE AND BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2023-2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- 1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-2024 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- 2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- 6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
- 7- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- 8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 9- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुल सचिव
13/11/2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..... उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Meerut मण्डल,
4. प्रबन्धक, DEWAN LAW COLLEGE PARTAPUR, BYE PASS ROAD, MEERUT को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, DEWAN LAW COLLEGE PARTAPUR, BYE PASS ROAD, MEERUT, Meerut
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

/
कुल सचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक :- सम्बद्धता/1321
दिनांक : 14.6.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि बी०डी०एस० स्कूल ऑफ लॉ, मेरठ को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्वयत्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल०एल०बी० (तीन वर्षीय) एवं एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2006 एवं 01.07.2019 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


14-6-19
कुलसचिव